

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2018/60094

दिनांक: 11.07.2018

संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2018/80039

अपीलकर्ता : श्री शफीक अहमद, एडवोकेट,
न्यू लायर्स चैम्बर नं. 404,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली - 110001.
मो0 - 9599467474.

निर्णय की तारीख: 11.07.2018

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	06.06.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	26.06.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री जीवन चंद्र
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.07.2018

- अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से RTIadmin सॉफ्टवेयर से संबंधित चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री जीवन चंद्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
- संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री जीवन चंद्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यानुसार नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के साथ-साथ एन.आई.सी. विभाग से भी संबंधित है। तदुसार श्री जीवन चंद्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह कार्यदिवसों के अंदर श्री अल्फ्रेड (एन.आई.सी. के अधिकारी) से सहायता लेकर अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जाए।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

- श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
- श्री जीवन चंद्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

